क्रम-संख्या –115

रजि० नं० एल. डब्लू. /एन. पी. 890

लाइसेन्स नं० डब्लू० पी०–41

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 30 अप्रैल, 2001

बैशाख 10, 1923 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग—1

संख्या 993/सत्रह–वि०-1—1(क)5/2001

लखनऊ, 30 अप्रैल, 2001

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2001 पर दिनांक 30 अप्रैल, 2001 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2001 के रूप में उद्देश्य और कारण के साथ सर्व साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :–

उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2001

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2001)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2001 कहा जायगा।

(2) यह 24 फरवरी, 2001 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45 सन् 1976 की धारा 5 व 6 का प्रतिस्थापन

2—उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 5 व 6 के स्थान पर निम्नलिखित धारायें रख दी जायेंगी, अर्थात् :–

वृक्ष के निपातन या अपनयन के लिये अनुज्ञा की प्रक्रिया

"5(1) कोई व्यक्ति, जो किसी खड़े वृक्ष को गिराने या किसी गिरे हुये वृक्ष को काटने, हटाने या अन्य प्रकार से उसका निस्तारण करने के लिये हकदार है, ऐसे अधिकारी को ऐसे प्रपत्र में, जैसा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय, ऐसे खड़े वृक्ष को गिराने या ऐसे किसी गिरे हुये वृक्ष को काटने, हटाने या अन्य प्रकार से उसका निस्तारण करने की अनुमति के लिये आवेदन-पत्र देगा और वह अधिकारी, जिसे ऐसा आवेदन-पत्र दिया जाय, ऐसी जांच करने के पश्चात् जिसे वह उचित समझे, बीस दिन के भीतर आवेदन-पत्र को अपनी रिपोर्ट के साथ सक्षम प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा।

(2) सक्षम प्राधिकारी उपधारा (1) के अधीन रिपोर्ट प्राप्त होने के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर आवेदित अनुज्ञा देगा या उसे देने से इंकार करेगा :

परन्तु यदि सक्षम प्राधिकारी उपधारा (1) के अधीन दी गयी रिपोर्ट से सन्तुष्ट नहीं है तो वह ऐसी अग्रतर जांच कर सकता है जैसी वह उचित समझे :

परन्तु यह और कि आवेदक को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ऐसी अनुज्ञा देने से इन्कार नहीं किया जायगा :

परन्तु यह भी कि यदि उस वृक्ष से किसी व्यक्ति या सम्पत्ति को खतरा है तो ऐसी अनुज्ञा देने से इन्कार नहीं किया जायगा:

परन्तु यह भी कि ऐसे क्षेत्र के सिवाय जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किया जाय, ऐसी अनुज्ञा किसी वृक्ष के निपातन के लिये इस दृष्टि से कि ईंधन, चारा, कृषि उपकरण या किसी अन्य घरेलू कार्य के प्रयोजनार्थ वास्तविक उपयोग के लिये उसकी लकड़ी या पत्ती को हस्तगत करना है, अपेक्षित नहीं होगी :

परन्तु यह भी कि ऐसी अनुज्ञा के बिना ऐसी तात्कालिक कार्यवाही की जा सकती है जो किसी अवरोध या अपदूषण को हटाने के लिये या किसी खतरे को रोकने के लिये आवश्यक हो।

(3) जहाँ सक्षम प्राधिकारी, उपधारा (2) के अधीन अनुज्ञा के लिये विनिर्दिष्ट समय के भीतर कोई विनिश्चय करने में असफल रहता है वहां यह समझा जायगा कि आवेदित अनुज्ञा दे दी गयी है।

(4) इस अधिनियम के अधीन दी गयी प्रत्येक अनुज्ञा ऐसी शर्त के अधीन होगी जैसा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट किया जाय, जिसके अन्तर्गत क्षेत्र में पुनरुत्पादन और वृक्षों के पुनः आरोपण को सुनिश्चित करने के लिये या अन्यथा प्रतिभूति लेना भी है।

सक्षम प्राधिकारी के विनिश्चय के विरुद्ध अभ्यावेदन

6—धारा 5 के अधीन सक्षम प्राधिकारी के विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे विनिश्चय के दिनांक से तीस दिन के भीतर पुनरीक्षण प्राधिकारी को अभ्यावेदन कर सकता है और ऐसे अभ्यावेदन पर पुनरीक्षण प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा।"

निरसन और अपवाद

3—(1) उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण (संशोधन) अध्यादेश, 2001 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 5 2001

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो यह अधिनियम सभी सारवान समय पर प्रवृत्त था।

आज्ञा से,
योगेन्द्र राम त्रिपाठी,
प्रमुख सचिव।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 की धारा 5 और 6 में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह व्यवस्था की गई थी कि सक्षम प्राधिकारी किसी ऐसे व्यक्ति के आवेदन पर, जो किसी खड़े वृक्ष को गिराने या किसी गिरे हुए वृक्ष को काटने, हटाने या अन्य प्रकार से उसका निस्तारण करने के लिए हकदार हो, ऐसी जांच करने के पश्चात् जिसे वह उचित समझे, ऐसा करने की अनुज्ञा दे सकता है और यह कि सक्षम प्राधिकारी किसी वन, बाग या सार्वजनिक परिसर में खड़े वृक्ष से भिन्न किसी वृक्ष के सम्बन्ध में आवेदन-पत्र की स्थिति में आवेदन-पत्र की प्राप्ति के दिनांक से नब्बे दिन के भीतर और किसी गिरे हुए वृक्ष के सम्बन्ध में आवेदन-पत्र की स्थिति में आवेदन-पत्र की प्राप्ति के दिनांक से सात दिन के भीतर अपना विनिश्चय देगा। जन-सामान्य को ऐसी अनुज्ञा प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था और फलस्वरूप वृक्षारोपण में उनकी रुचि का ह्रास हो रहा था। अतएव, जन-सामान्य को वृक्षारोपण में प्रोत्साहित करने के अभिप्राय से यह विनिश्चय किया गया कि वृक्षों को गिराने या हटाने की अनुज्ञा प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए उक्त अधिनियम को संशोधित किया जाय।

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उपर्युक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था, अतः श्री राज्यपाल द्वारा दिनांक 24 फरवरी, 2001 को उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण (संशोधन) अध्यादेश, 2001 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 5 सन् 2001) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

No. 993(2)/XVII-V-1—1 (KA)5/2001

Dated Lucknow, April 30, 2001

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Vriksha Sanrakshan (Sanshodhan) Adhiniyam, 2001, (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 12 of 2001) as passed by the uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on April 30, 2001 alongwith the Statement of Objects and Reasons thereto:—

THE UTTAR PRADESH PROTECTION OF TREES (AMENDMENT) ACT, 2001

(U. P. Act No. 12 of 2001)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 5 सन् 2001

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Protection of Trees Act, 1976.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-second Year of the Republic of India as follows :—

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Protection of Trees (Amendment) Act, 2001. Short title and commencement

(2) It shall be deemed to have come into force on February 24, 2001.

Substitution of sections 5 and 6 of U.P. Act no. 45 of 1976

2. *For* sections 5 and 6 of the Uttar Pradesh Protection of Trees Act, 1976, hereinafter referred to as the Principal Act, the following sections shall be *substituted*, namely:—

Procedure for permission to fell or remove trees

"5(1) Any person entitled to fell a standing tree or to cut, remove or otherwise dispose of a fallen tree, may make an application to such officer in such form as may be notified by the State Government, for permission to fell such standing tree or to cut, remove or otherwise dispose of such fallen tree and the officer to whom such application is made, shall, within twenty days after making such enquiry as he thinks fit, forward the application along with his report to the competent authority.

(2) the competent authority shall, within fifteen days from the date of receipt of the report under sub-section (1), grant or refuse the permission applied for:

Provided that the competent authority may, if he is not satisfied with the report made under sub-section (1), make such further enquiry as he thinks fit:

Provided further that such permission shall not be refused without affording the opportunity of hearing to the applicant:

Provided also that such permission shall not be refused if the tree constitutes danger to person or property:

Provided further that except in such areas as may be notified by the State Government in this behalf, such permission shall not be required for felling of any tree with a view to appropriating the wood or leaves thereof for *bona fide* use for purposes of fuel, fodder, agricultural implements or other domestic use:

Provided also that such immediate steps as are necessary to remove any obstruction or nuisance or to prevent any danger may be taken without such permission.

(3) Where the competent authority fails to take any decision under sub-section (2) within the time specified therefor, it shall be deemed that the permission applied for, has been granted.

(4) Every permission granted under this Act shall be subject to such conditions, including taking of security for ensuring regeneration of the area and replanting of trees or otherwise, as may be specified from time to time by the State Government by notification.

Representation against the decision of the Competent Authority

6. Any person aggrieved from the decision of the competent authority under section 5 may make a representation within thirty days from the date of such decision to the Revising Authority and the decision of the Revising Authority on such representation shall be final."

Repeal and savings

3. (1) The Uttar Pradesh Protection of Trees (Amendment) Ordinance, 2001 is hereby repealed. U.P. Ordinance No. 5 of 2001

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the Principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the Principal Act as amended by this Act as if this Act were inforce at all material times.

By order,

Y. R. TRIPATHI
Pramukh Sachiv.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Sections 5 and 6 of the Uttar Pradesh Protection of Trees Act, 1976 provided, *inter alia*, that the competent authority may, on the application of any person entitled to fell a standing tree or to cut, remove or otherwise dispose of a fallen tree, after making such inquiry as he thinks fit, grant permission to do so and that the competent authority shall give his decision in the case of an application in respect of any tree other than a tree standing in a forest, grove or public premises, within ninety days from the date of the receipt of the application, and, in the case of an application in respect of a fallen tree, within seven days from the date of receipt of the application. The general public was facing difficulty in obtaining such permission and consequently losing interest in plantation. Therefore, with a view to motivate the general public towards plantation it was decided to amend the said Act for simplifying the procedure for obtaining permission to fell or remove trees.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Protection of Trees (Amendment) Ordinance, 2001 (U. P. Ordinance no. 5 of 2001) was promulgated by the Governor on February 24, 2001.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

U.P. Ordinance no. 5 of 2001

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 23 सा० विधा०—2001—(203)—850— (कम्प्यूटर/आफसेट)।